(1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 171/2025 दायर दिनांकः 08.09.2025

उनवान

1. निर्भयसिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपुत निवासी बोरदा तहसील पिड़ाला
2. बहादुरसिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपुत निवासी बोरदा तहसील पिड़ावा
3. गोविन्दसिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपुत नि. बोरदा तहसील पिड़ावा
4. आनन्द कुंवर पत्नि बनेसिंह जाति राजपुत नि. बोरदा तहसील पिड़ावा

–प्रार्थीगण

बनाम

1. बसन्तीलाल पुत्र जगनाथ जाति कुल्मी निवासी बोरदा तहसील पिड़ावा
2. मनोहरलाल पुत्र जगनाथ जाति कुल्मी निवासी बोरदा तहसील पिड़ावा
3. लालचन्द पुत्र जगनाथ जाति कुल्मी निवासी बोरदा तहसील पिड़ावा
4. अम्बुबाई पुत्री उदयराम जाति कुल्मी निवासी बोरदा तहसील पिड़ावा
5. ओमप्रकाश पुत्र उदयराम जाति कुल्मी निवासी बोरदा तहसील पिड़ावा
6. डिलीट–गीताबाई पत्नि उदयराम जाति कुल्मी नि. बोरदा तह. पिड़ावा
7. रमेशचन्द पुत्र उदयराम जाति कुल्मी निवासी बोरदा तहसील पिड़ावा
8. रामप्रसाद पुत्र उदयराम जाति कुल्मी निवासी बोरदा तहसील पिड़ावा
9. सूरतराम पुत्र उदयराम जाति कुल्मी निवासी बोरदा तहसील पिड़ावा
10. मुकेश पुत्र बसन्तीलाल जाति कुल्मी निवासी बोरदा तहसील पिड़ावा
11. नन्दराम पुत्र ओमप्रकाश जाति कुल्मी निवासी बोरदा तहसील पिड़ावा
12. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पिड़ावा जिला झालावाड़ राज.
13. रामेश्वर पुत्र प्रभूलाल जाति ब्राहमण निवासी बोरदा तहसील पिड़ावा

– अप्रार्थीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति विद्वान अभिभाषकगण :–

अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री सुभाष दांगी

अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 से 3, 5, 7 से 11 – श्री नीलकमल त्रिवेदी

अप्रार्थी सं. 4 व 13 – एकतरफा

अप्रार्थी सं. 12 – पेरोकार सरकार

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

(5)

निर्णय दिनाकः 11.06.2026

पत्रावली पेश हुई। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि नकल जमाबन्दी ग्राम बोरदा तहसील पिडावा के खाता न. 84 में अन्य खसरा नमबरान के साथ खसरा नः 293 रकबा 1.7831 हेक्टेयर प्रार्थीगण की सहखातेदारी मे दर्ज होकर प्रार्थीगण के हिस्से कब्जे काश्त की भूमि स्थित है नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 साथ संग्लन है। यह कि पेरा न. 1 में वर्णित भूमि खसर न. 293 रकबा 1.7831 हेक्टेयर वाके बोरदा मे टेक्टर सामन्द फसल आदि लाने ले जाने का सनातनी रास्ता हेमडा जाने वाली सडक गैर मुमकिन रास्ता खसरा न. 229 से होकर खसरा न0 234 से आगे चलकर खसरा न0 246/233 व खसरा न0 281 के बीच होकर आगे खसरा न0 281 व 671/271 की पूर्वी मेड पर होकर आगे खसरा न० 282 व 645/294 के बीच होकर आगे खसरा न0 288 व 294 के बीच होकर प्रार्थीगण अपने खेत खसरा न० 293 पर टेक्टर फसल आदि लाते ले जाते है, जो प्रार्थीगण का पुराना सनातनी रास्ता है। उक्त खेत खसरा नः 293 प्रार्थीगण के हिस्से कब्जे बंटवारे में है। यह कि पेरा न. 2 मे वर्णित प्रार्थीगण के सनातनी रास्ते को अप्रार्थीगण ने खसरा न0 281 व खसरा न0 671/281 की पुर्वी मेड पर परिशिष्ट अ नक्शे मे लाल स्याही से अंकित स्थान पर अप्रार्थीगण ने ताकत के बल पर जबरन पूराना रास्ता रोककर अवरूद्ध कर दिया है, उक्त रास्ते पर निकलने पर अप्रार्थीगण व उनके परिवार के लोग नन्दराम व मुकेश लडाई झगडा व मारपीट पर आमादा हो रहे है। यह कि प्रार्थीगण का उक्त रास्ते के अलवा अपनी आराजी खसरा न० 293 पर टैक्टर फसल लाने ले जाने का अन्य कोई रास्ता नही है। अप्रार्थीगण ने जोर जबरदस्ती ताकत के बल पर प्रार्थीगण के खेत पर आने जाने के सनातनी रास्ते को खसरा न० 281 व खसरा न० 671/281 की पुर्वी मेड पर बन्दकर अवरूद्ध कर दिया है, प्रार्थीगण अपने खेत पर उक्त पुराने रास्ते पर जाने पर अप्रार्थीगण व उनके लडके लडाई झगडा कर मारपीट पर उतारू हो रहे है। प्रार्थीगण को अपने खेत पर आने जाने में भारी समस्या आ रही है। जबकि

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

(6)

अप्रार्थीगण के खसरे न० के उत्तर में हेमडा रोड तक व दक्षिण में प्रार्थीगण के खेत तक रास्ता खुला व चालू है, ओर अप्रार्थीगण द्वारा उनके खेत के पुर्वी मेड पर जबरन ताकत के बल पर रास्ता अवरूद्ध कर दिया है। यह कि प्रार्थीगण की आराजी पर आने जाने का रेकार्ड मे कोई रास्ता दर्ज नही है ओर मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। यह कि उक्त रास्ते के सम्बन्ध मे प्रार्थीगण को अत्यन्त आवश्यकता है। यह केवल जोत के सुविधा के उपयोग के लिए नहीं है अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण का पुराना सनातनी रास्ता रोक कर अवरूद्ध करने से प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा न० 293 पर आने जाने में भारी समस्या आ रही है। यह कि प्रार्थीगण को अपनी आराजी खसरा न0 293 पर आने जाने टेक्टर, फसल लाने|ले जाने के लिए खसरा न० खसरा न० 281 व खसरा न0 671/281 की पुर्वी मेड पर होकर 12 फीट चौडाई के रास्ते की आवश्यकता है जिससे प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा न0 293 वाके बोरदा टेक्टर फसल लाने ले जाने के लिए आवश्यक है। यह कि प्रार्थीगण रास्ते कि भूमि के बदले में प्रतिकर के रूप में निर्धारित मुआवजा राशि नियमानुसार भुगतान करने के लिए तैयार है। यह कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र रास्ता खुला कराने का तहसीदार साहब को दिया था जिस पर पटवारी जी व कानूनगो साहब मौके पर रास्ता खुला कराने आये थे तो अप्रार्थीगण के मुत्र इमल्सल पुत्र ओमप्रकाश व मुकेश पुत्र बसन्तीलाल उनसे भी झगडने लगे व उनसे भी रास्ता खुला करने से इन्कार कर देने से प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। यह कि प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार क्षेत्राधिकार मे उचित न्यायशुल्क पर अवधि मध्य पेश है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की ग्राम बोरदा तहसील पिडावा की भूमि खसरा न. 293 पर आने जाने टेक्टर कृषि ओजार फसल लाने लेजाने का सनातनी रास्ता अप्रार्थीगण के खेत खसरा न. 281 व 671/281 की पूर्वी मेड पर होकर 12 फीट चौडाई का रास्ता स्वीकार किया जाकर रास्ता भूमि को राजस्व अभिलेख नक्शे मे रास्ता अभिलिखित करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे की वे प्रार्थीगण के उक्त रास्ते मे आने जाने मे किसी प्रकार की बाधा अवरोध पेदा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(7)

नही करें ओर ना ही उनके परिवार या किसी अन्य से ऐसा नही कराये। अन्य न्यायोचित सहायता व खर्जा खर्चा जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे प्रार्थीगण को दिलाने कि कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी सं. 1 से 3, 5, 7 से 11 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 1 अस्वीकार है क्योकि प्रार्थीगण के द्वारा बताई गई आराजी उनके ही नाम दर्ज नहीं होकर इस खसरा नम्बर में तंवरसिंह, नन्दकुंवर, प्रेमसिंह, सम्पतबाई, सीमा कुंवर हेमलता भी सहखातेदार है जिन्हे प्रार्थीगण ने प्रार्थी या अप्रार्थी के रुप में पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 2 अस्वीकार है क्योकि प्रार्थीगण का रास्ता अप्रार्थीगण के खसरा नं. 281 व 671/281 की पूर्वी मेड़ से नहीं होकर गांव बोरदा से छोड़ी जाने वाले आम रास्ते से होकर है जिसमें प्रार्थीगण नहीं निकल कर अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नं. 281 व 671/281 की पूर्वी मेड़ पर जबरन रास्ता लेना चाहते है जबकि खसरा नं. 281 की पूर्वी मेड़ पर कुआ है। विद्युत ट्रान्सफारमर लगा हुआ है, विद्युत के पोल लगे हुए है तथा खसरा नं. 671/281 में सन्तरे के बड़े–बड़े पेड़ खड़े हुए है तथा दक्षिणी मेड़ के पूर्वी कोने पर कुआ लगा हुआ है जहां रास्ता नहीं निकल सकता है इसके अतिरिक्त खसरा नं. 283 की दक्षिणी मेड़ तथा खसरा नं. 282 की उत्तरी मेड़ से होकर खसरा नं. 282 की पूर्वी मेड़ तथा खसरा नं. 284 की पश्चिमी मेड़ से होकर खसरा नं. 288 तक चालू है और खसरा नं. 288 की दक्षिणी मेड़ पर ही प्रार्थीगण का खसरा नं. 293 है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 3 अस्वीकार है क्योंकि अप्रार्थीगण की खातेदारी की पूर्वी मेड़ से होकर प्रार्थीगण का रास्ता नहीं रहा है प्रार्थीगण का रास्ता ग्राम बोरदा से ग्राम छोड़ी जाने वाले आम रास्ते से होकर खसरा नं. 292 की पश्चिमी मेड़ से होकर खसरा नं. 293 व 294 में आते–जाते है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 4 अस्वीकार है क्योकि प्रार्थीगण का कभी–भी रास्ता अप्रार्थीगण की ओर से

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(8)

नही रहा है तथा प्रार्थीगण ने खसरा नं. 288, 295, 645/294 व 294 के खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि प्रार्थी इन खसरा नम्बर पर भी रास्ता चाह रहे है इसलिए खसरा नं. 288, 295, 645/294 व 294 के खातेदारान को पक्षकार बनाये बिना प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 5 अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 6 अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 7 अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 8 अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 9 अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 10 अस्वीकार है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की कृपा की जाये।

3. अप्रार्थी सं. 4 व 13 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से मुताबिक आदेशिका दिनांक 10.11.2025 से अप्रार्थी सं. 4 व 13 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

4. पैरोकार सरकार तहसीलदार पिडावा से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार पिडावा द्वारा अपने पत्र दिनांक 11.11.2025 से भू.अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 04.11.2025 पेश की।

5. प्रार्थीगण की ओर से ग्राम बोरदा तहसील पिडावा का खाता सं. 84, 74, 20, 227 की जमाबंदी सं. 2072–75, भू.अभिलेख निरीक्षक की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 03.07.2025, खसरा नक्शा दिनांक 08.07.2025, दिनांक 04.07.2025, बीरमलाल पि. प्याराजी द्वारा पेश प्रार्थनापत्र दिनांक 19.06.2013 की छायाप्रति पेश की। अप्रार्थीगण की ओर से पटवारी रिपोर्ट, खाता सं. 175, 146, 257, 46, 4 की जमाबंदी सं. 2072–75, खसरा गिरदावरी सं. 2081, खसरा नक्शा पेश किया।

6. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया और निवेदन

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(2)

किया कि ग्राम बोरदा तहसील पिंडावा स्थित प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 293 रकबा 1.7831 है. तक पहूँच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। चारो ओर निजी खातेदारी की भूमियां ही है। प्रार्थीगण की भूमि क पहूँच हेतु मौके पर कोई भी वैकल्पिक रास्ता नहीं है। मुख्य हेमडा सडक ख.नं. 229 से लेकर ख.नं. 282 के उत्तरी पश्चिम छोर से होता हुआ अप्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 281 व 671/281 की पूर्वी मेड के सहारे होकर ख.नं. 645/294 व 294 की उत्तरी मेड से होता हुआ प्रार्थीगण की भूमि तक अस्थाई रूप से जाता था जिसे कुछ महिनो पूर्व अप्रार्थीगण द्वारा अपने खेत ख.नं. 281 व 671/281 में बंद करके जोत कर अपने खेत में मिला लिया है। आगे तर्क किया कि रिकार्डेड/प्रचलित रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण अपने खेत में फसल बोने में एवं कृषि उपकरण लाने ले जाने में मुश्किले आ रही है और कभी कभी मजबूरन भूमि पडत रह जाती है जिससे प्रार्थीगण के लिए भरण पोषण की दिक्कते उत्पन्न हो रही है। अतः रास्ता प्रार्थीगण की नितान्त आवश्यकता है। प्रार्थीगण सुविधा के लिए रास्ता नहीं ले रहे है। अभिभाषक प्रार्थीगण ने आगे कथन किया कि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की निजी भूमि से दिए जाने वाले रास्ते की क्षतिपूर्ति राशि का भी नियम अनुसार भुगतान करने के लिए तत्तपर है। अतः प्रार्थीगण को आने जाने एवं कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु अप्रार्थीगण के ख.नं. 281 व 671/281 की पूर्वी मेड के सहारे 12 फीट चौडा नया रास्ता प्रदान किया जावे।

7. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 से 3, 5, 7 से 11 द्वारा उक्त बहस का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण जिस ख.नं. 293 पर पहूँच हेतु रास्ता चाह रहे है, वहां तक पहूँच हेतु वर्षो से प्रचलित वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जो ख.नं. 281 की पश्चिम मेड से होता हुआ ख.न. 282 व ख.न. 284 एवं ख. न. 283 की मध्य मेड से होकर ख.नं. 282 व 284 की मध्य मेड से होता हुआ ख.नं. 288 से होकर ख.नं. 293 तक पहूँचता है। प्रार्थीगण इसी रास्ते से होकर वर्षो से अपने खेत पर आ जा रहे है लेकिन प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को नुकसान कारित करने के लिए जबरन ख.नं. 281 व 671/281 से होकर

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

नया रास्ता कायम करना चाहते है। अप्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि से होकर कभी कोई रास्ता नहीं रहा है। आगे तर्क किया कि वादग्रस्त भूमि ख.नं. 671/281 में 15 वर्षो से संतरे का बगीचा लगा हुआ है और उत्त्री पूर्वी कोने पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जबकि दक्षिण पूर्वी कोने पर कुआं बना हुआ है। यदि रास्ता दिया जाता है तो संतरे के बगीचे को काटना पडेगा और कुएं को नष्ट करना पडेगा जिसे अप्रार्थीगण को अपूरनीय क्षति कारित होगी। अभिभाषक अप्रार्थीगण ने पुनः तर्क किया कि ख.नं. 293 में प्रार्थीगण के अतिरिक्त अन्य सहखातेदार भी है जिन्हे प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

8. पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा की बहस सुनी गई। तहसीलदार द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि प्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 293 तक पहूँच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है। ख.नं. 281 व 282 की मेड तक मौके पर रास्ता बना हुआ है जो ख.नं. 283 की दक्षिण मेड से होता हुआ ख.नं. 285 की पूर्वी मेंड तक जाता है। ख.नं. 645 व 294 की उत्तरी मेड के सहारे भी मौके पर अस्थाई रास्ता बना हुआ है जिससे गुजरने पर इनके खातेदारो को कोई आपत्ति नहीं है। इसी प्रकार ख.नं. 282 व 284 की मध्य मेड के सहारे भी अस्थाई रास्ता बना हुआ है। अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता बंद किये जाने के बाद से प्रार्थीगण वर्तमान में इसी से होकर ख.नं. 288 के खातेदारो से निवेदन कर अस्थाई रूप से कभी कभी निकल रहे है। वर्तमान में अप्रार्थीगण के खेत ख.नं. 281 व 671/281 के पूर्वी मेड पर मौके पर कोई रास्ता बना हुआ नहीं है। अप्रार्थीगण के खसरा नम्बरान में संतरे का बगीचा लगा हुआ है लेकिन संतरे के पेडो एवं मेड के मध्य करीब 15 फीट की खाली जगह है जिससे होकर 10–15 फीट का रास्ता दिये जाने पर पेड काटने की कोइ आवश्यकता नहीं होगी। प्रार्थीगण को रास्ते की नितान्त आवश्यकता है। अतः नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

(11)

9. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी। बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। स्वयं उपखण्ड अधिकारी द्वारा भी मौका निरीक्षण किया गया। धारा 251 क आर.टी.एक्ट. के तहत नये रास्ता दिये जाने से पूर्व निम्न शर्तों के पालना जरूरी है:-

(i) रिकार्डेड पहूँच मार्ग – प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण एवं पेशकार सरकार तीनो इस कथन पर सहमत है कि प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 293 तक पहूँच हेतु राजस्व रिकार्ड में कोइ भी पहूँच मार्ग दर्ज नहीं है। ग्राम बोरदा तहसील पिडावा के पेश खसरा नक्शा व नजरी नक्शे के अवलोकन से साबित है कि प्रार्थीगण की भूमि पर पहूँच हेतु कोई भी रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है।

(ii) वैकल्पिक रास्ता नहीं होना – अभिभाषक प्रार्थीगण का कथन है कि उसकी आराजी पर पहूँच हेतु वर्तमान में कोई भी वैकल्पिक प्रचलित रास्ता उपलब्ध नहीं है और जो एक मात्र वैकल्पिक रास्ता ख.नं. 281, 671/281 की पूर्वी मेड से होकर ख.नं. 645/294 व 294 की उत्तरी मेड से होकर उपलब्ध था उसे अप्रार्थीगण द्वारा बंद कर दिया गया है जबकि अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 से 3, 5, 7 से 11 का कथन है कि प्रार्थीगण की भूमि तक पहूँच हेतु ख.नं. 281 पूर्वी दक्षिण मेड से होकर 283 की दक्षिण मेड से होता हुआ 282 व 284 की मध्य मेड से होकर ख.नं. 288 की उत्तरी पश्चिमी मेड से होकर ख.नं. 645/294 व 294 तक पहूँचता है जो वर्तमान में चालू है। प्रार्थीगण वर्षो से इसी रास्ते का उपयोग कर रहे है। पेशकार सरकार तहसीलदार पिडावा की रिपोर्ट के पैरा सं. 6 के अनुसार प्रार्थीगण के खेत तक पहूँच हेतु कोई स्थाई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता बंद करने पर प्रार्थीगण अस्थाई रूप से ख.नं. 282 व 284 की मेड से होकर 288 से होते हुए अपने खेत तक वर्तमान में पहूँच रहे है। अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा भी वादग्रस्त आराजी का मौका निरीक्षण करने पर पाया गया कि ख.नं. 281 व 282 की संयुक्त मेड से होकर ख.नं. 283 की दक्षिण मेड से होता हुआ 284 की उत्तरी मेड से होकर ख.नं. 285 व 286 की मेड तक मौके पर प्रचलित रास्ता बना हुआ है। ख.नं. 282 व 284 की मध्य मेड पर भी मौके

उपखण्ड अधिकारी

(12)

पर अस्थाई रास्ता बना हुआ है। ख.नं. 282 की पूर्वी मेड के दक्षिण कोने में कुआं बना हुआ है। ख.नं. 288 के मध्य से या पूर्व या पश्चिम दिशा से कोई रास्ता बना हुआ नहीं है। संभवतः प्रार्थीगण कुछ समय से यही से होकर केवल व्यवस्तार्थ अस्थाई रूप से निकल रहे होगे। ख.नं. 645/294 व 294 की उत्तरी मेड पर भी अस्थाई रास्ता बना होना प्रतीत होता है। अप्रार्थीगण के ख.नं. 281 व 671/281 की पूर्वी मेड पर वर्तमान में कोई रास्ता बना हुआ नहीं है और संतरे का जो बगीचा लगा हुआ है उसके पेड मेड से करीब 13 से 15 फीट दूर है। ख.नं. 281 व 282 की मध्य मेड के उत्तरी कोने पर विद्युत ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। ख.नं. 671/281 व 282 की की मध्य मेड के दक्षिण कोने में अप्रार्थीगण का कुआं है जो मेड से 10–12 फीट दूर है। **अतः साबित है कि प्रार्थीगण की भूमि तक पहूँच हेतु कोई स्थाई चालू वैकल्पिक रास्ता नहीं है।**

(iii) रास्ते की अति आवश्यकता होना– उपरोक्त बिन्दू सं. 1 व 2 के विवेचन एवं विश्लेषण से यह साबित है कि प्रार्थीगण की आराजी तक पहूँच हेतु ना तो कोई राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ता है और **ना ही कोई स्थाई चालू वैकल्पिक रास्ता** वर्तमान में उपलब्ध है। यह भी सही है कि प्रत्येक काश्तकार को अपने खेत में फसल काश्त हेतु आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता होती है। रास्ते के अभाव में या किसी व्यक्ति द्वारा रास्ते को अवरूद्ध कर दिये जाने से आराजी के पडत रहने से काश्तकार के लिए भरण पोषण का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए विधायिका द्वारा एक्ट में धारा 251 ए जोडी गई है। तहसीलदार द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि आवेदित रास्ते के अलावा और कोई विकल्प नहीं होने से प्रार्थी को रास्ता दिया जाना अति आवश्यक है। किसी व्यक्ति/खातेदार के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने पर भी नये रास्ते की मांग करने को ही सुविधा के लिए रास्ता मांगना माना जावेगा। अतः साबित होता है कि प्रार्थीगण को अपने

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

खेत पर आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रिकार्डेड रास्ते की आवश्यकता है।

(iv) लघुतम रास्ता होना— पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, खसरा नक्शा के अवलोकन, पैरोकार सरकार तहसीलदार पिडावा द्वारा पेश मौका रिपोर्ट दिनांक दिनांक 11.11.2025 एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता के निरीक्षण से जाहिर है कि ख.नं. 281 व 671/281 से दिये जाने वाला रास्ता लघुतम होगा क्योंकि ख.नं. 645/294 व 294 के काश्तकारों को उत्तरी मेड से प्रार्थीगण के निकलने पर ना तो कोई आपत्ति है और ना ही प्रार्थीगण द्वारा इन दोनो ख.नं. से होकर रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त दिये जाने वाले रास्ते की लम्बाई ख.नं. 281 में 40 मीटर व ख.नं. 671/281 में 84 मीटर होगी। अप्रार्थीगण की भूमि में स्थित संतरे के बगीचे व कुएं की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 12 फीट की जगह 10 फीट चौडा रास्ता दिया जाना उचित होगा।

(v) डीएलसी की दुगनी दरों से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतानः—प्रार्थीगण अपनी आराजी ख.नं. 293 तक पहुंच हेतु अप्रार्थीगण की रास्ते में उपयोग आने वाली भूमि का नवीनतम डीएलसी दरों से दुगुनी राशि का भुगतान करने पर सहमत है। अतः रास्ते के उपयोग में आने वाली अप्रार्थीगण की ख.नं. 281 व 671/281 से रास्ते में जाने वाले भूमि की डीएलसी की दुगुनी दर क्षतिपूर्ति राशि दिया जाना उचित होगा।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण, तहसीलदार पिडावा की मौका रिपोर्ट दिनांक 11.11.2025 एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता के मौका निरीक्षण के अनुसार ग्राम बोरदा तहसील पिडावा की प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 293 तक पहुँच हेतु अप्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 281 व 671/281 की पूर्वी मेड से होकर नया रास्ते के संबंध में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट. न्यायहित में आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

—::क्रियात्मक आदेश ::—

11. परिणामतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी. एक्ट. आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम बोरदा तहसील पिडावा की प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 293 तक पहुँच हेतु अप्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 281 की पूर्वी मेड के सहारे 3.3 मीटर चौडा व 40 मीटर लम्बा व 671/281 की पूर्वी मेड से होकर 3.3 मीटर चौडा व 84 मीटर लम्बा वर्तमान डीएलसी दरो से दुगुनी राशि क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान किये जाने पर नवीन रास्ता कायमी के आदेश दिए जाते है। यदि नवीन रास्ता कायमी करने में विद्युत ट्रांसफार्मर को हटाने की आवश्यकता हो तो हटाने का खर्चा प्रार्थीगण वहन करेगे। रास्ते के खसरा का प्रथम नम्बर दिया जाकर रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ किया जावेगा। तहसीलदार पिडावा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड़

11/6/26

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़, राज0